न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/41)

1. अश्वनी कुमार पुत्र गुलजारीलाल पुत्र खजानचन्द जाति अरोड़ा निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. कनुज कुमार | पुत्रगण अश्वनीकुमार जाति अरोड़ा निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. मनुज कुमार

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नीरजकुमार पुत्र नवनीत कुमार जाति अरोड़ा निवासी पुरानी धानमण्डी सदर बाजार नोहरा नं. 43 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सुरेश मोहता —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर के प्रकरण संख्या 41/2012 निर्णय दिनांक 12.07.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) श्री विजयनगर के प्रकरण संख्या 41/2012 अनवान नीरज कुमार वगैरह बनाम अश्वनी कुमार वगैरह के निर्णय दिनांक 12.07.2012 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 12.07.2012 को निरस्त कर अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 16.09.1997 के आधार पर इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता/दादा गुलजारीलाल पुत्र खजानचन्द के नाम से चक 1 जी.बी.में मु.नं. 25

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में 25.00 बीघा व मु.नं. 30 में 25 बीघा कुल 50.00 बीघा रकबा व गंगानगर में दुकान नोहरा व रिहायशी मकान की सम्पत्ति नाम होकर उनके कब्जा में थी। घरूली बंटवारा दिनांक 25.08.1984 में उक्त 50 बीघा भूमि मे से मु. नं. 25 की 25 बीघा भूमि का इन्तकाल नं. 11 दिनांक 05.03.1991 को तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 के नाम कर दिया गया। इन्तकाल सं. 11 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 21.04.1998 को स्वीकार कर इन्तकाल नं. 11 निरस्त कर दिया। निर्णय दिनांक 21.04.1998 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा संभागीय आयुक्त बीकानेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो खारिज कर दी गई। मूल पत्रावली पुनःतहसीलदार श्रीविजयनगर मे आने पर पांच वर्ष के बाद बिना बहस सुने आदेश जैर अपील दिनांक 12.07.2012 पारित कर दिया गया जो अपास्त योग्य है। भूमि धारक गुलजारीलाल का स्वर्गवास दिनांक 11.10.1997 को हो गया था, गुलजारीलाल ने अपने पोते अपीलान्ट सं. 2 व 3 के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 16.09.1997 को करवाई हुई जो उनके जीवनकाल की आखरी व अंतिम वसीयत थी। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पक्ष में करवाई गई वसीयत को प्रोबेट करवाने का प्रकरण उच्च न्यायालय में जैरकार होने का तथ्य अंकित कर निर्णय नही करना कानून के विपरित है। राजस्थान मे व बीकानेर रियासत में वसीयत को प्रोबेट करवाना न तो कानूनी जरूरी है व न ही ऐसा नियम है। अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही हुई है। जैरप्रकरण रकबा सीलिग में अवाप्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज कर दिया गया था जो आज भी रकबा राज दर्ज होकर अपीलान्ट्स के कब्जा काश्त मे चला आ रहा है। अपीलान्ट्स के पिता/दादा ने अपने नाम की सारी सम्पति की वसीयत के आधार पर सभी वारिसानो को समान हिस्सा दिया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2012 को निरस्त कर अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 16.09.1997 के आधार पर इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। अपीलान्ट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2008 पेज 197, RRD 2002 पेज 280, RRD 2006 पेज 190, RRD 2008 पेज 200, RRD 1986 पेज 135, RRD 1992 पेज 634, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि श्री गुलजारी लाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत दिनांक 27.05.1986 रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में निष्पादित कर दी गई थी जो रजिस्टर्ड वसीयत थी, उसके बाद दूसरी वसीयत दिनांक 16.09.1997 सादे कागज पर लिखी गई है जो रजिस्टर्ड नही है। दिनांक 16.09.1997 की वसीयत के आधार पर अपीलान्ट ने प्रोबेट लेने की कार्यवाही की जिसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलान्ट प्रोबेट के नाम पर अदालतो का मजाक बना कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रकरण मे दो वसीयत निष्पादित की गई है। एक वसीयत दिनांक 27.05.1986 को व दूसरी वसीयत 16.09.1997 को निष्पादित होना प्रतिवेदित हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में वसीयत संबधी बिन्दु को निर्णित किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय मे अपील भी दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्तानुसार अपील पर विनिश्चय किए जाने पर ही वसीयत संबधी विवाद का निस्तारण संभव हो सकेगा। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2012 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 12.07.2012 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर